न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 101 / 2019

1 झाबरमल आयु 58 साल पुत्र स्व. घड़सीराम जाति जाट पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 26 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 श्रीमती गिनियादेवी आयु 68 साल पुत्री स्व. पोकरराम पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट पेशा खेती निवासी नेशल छोटी तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 हरलाल आयु 64 साल पुत्र स्व. गोरूराम
2 श्रीमती प्रमेश्वरी आयु 62 साल पत्नी हरलाल
3 संजय आयु 37 साल पुत्र हरलाल
4 संदीप आयु 29 साल पुत्र हरलाल
जाति जाट हाल निवासी वार्ड नम्बर 26 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 श्रीमती माया आयु 38 साल पुत्री हरलाल पत्नी पवन
6 श्रीमती वेदकोर आयु 36 साल पुत्री हरलाल पत्नी अनिल जाति जाट निवासी फरट तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 मु. सुशीला आयु 34 साल
8 मु. तारामणी आयु 32 साल
9 मु. कृष्णा आयु 30 साल
10 मु. चुकी उर्फ उर्मिला आयु 28 साल पुत्रीगण हरलाल जाति जाट हाल निवासी वार्ड नम्बर 26 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
11श्रीमती पतासी देवी आयु 60 साल पत्नी
12 सुनिल आयु 32 साल पुत्र
13 मुकेश आयु 28 साल पुत्र स्व. होशियार सिंह जाति जाट हाल निवासी वार्ड नम्बर 26 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

14 श्रीमती सरोज आयु 30 साल पुत्री स्व. होशियार सिंह पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
15 श्रीमती सरती आयु 69 साल पुत्री स्व. बदामसिंह पत्नी पालाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसिह का बास तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
16 श्रीमती बिमला आयु 33 साल पुत्री स्व. बनवारीलाल पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
17 श्रीमती मीरा आयु 64 साल पत्नी बनवारीलाल
18 अनिल कुमार आयु 30 साल पुत्र बनवारीलाल
19 नरेन्द्र सिंह आयु 28 साल पुत्र बनवारीलाल
जाति जाट हाल निवासी वार्ड नम्बर 26 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
20 सुलतान सिंह आयु 56 साल पुत्र स्व. बदामसिंह जाति जाट वार्ड नम्बर 26 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
21 मृतक श्रीमती श्रवणी आयु 54 साल पत्नी सुलतान सिंह जाति जाट वार्ड नम्बर 26 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं नोट–' दौराने अपील दिनांक 01.04.2025 को देहान्त हो गया।'
21/1 श्रीमती सरिता पुत्री स्व. श्रीमती श्रवणी व सुलतान सिंह पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम अणगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
21/2 विकाय आयु 28 साल पुत्र सुलतान सिंह
23 सौरव आयु 26 साल पुत्र सुलतान सिंह जाति जाट वार्ड नम्बर 26 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
24 श्रीमती गीता आयु 60 साल पुत्री स्व. बदामसिंह पत्नी मोहरसिंह जाति जाट निवासी बुडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
25 दरिया सिंह आयु 66 साल
26 बनवारीलाल आयु 64 साल
27 फुलसिंह आयु 61 साल
28 सुभाष आयु 58 साल पुत्र स्व. श्योनारायण जाति जाट निवासी सेहीकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
29 गुगनसिंह आयु 56 साल पुत्र स्व. गिरधारी
30 बाबुलाल आयु 50 साल दत्तक पुत्र स्व. जीताराम
31 प्यारेलाल आयु 58 साल पुत्र जगमाल
32 सुनिल आयु 28 साल पुत्र बाबुलाल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

33 सन्तकुमार आयु 31 साल पुत्र गुगनसिंह जाति जाट निवासी मालीग्राम तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
34 अनिल आयु 41साल पुत्र रोशनलाल
35 रोशनलाल आयु 71 साल पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी फरेट तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
36 राजेन्द्र आयु 50 साल पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसिंह का बास तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
37 मृतक कुरड़ाराम आयु 82 साल पुत्र स्व. गोरूराम जाति जाट वार्ड नम्बर 26 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। नोट–दौराने अपील दिनांक 02.01.2022 को देहान्त हो गया।
37/1 श्रीमती सिरपति आयु 81 साल पत्नी स्व. कुरड़ाराम जाति जाट निवासी हाल वार्ड नम्बर 32 पिलानी रोड़ गोशाला कृषि फार्म के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
37/2 श्रीमती सिलोचना आयु 51 साल पुत्री स्व. कुरड़ाराम पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी केहरपुरा खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
37/3 श्रीमती रोशनी आयु 47 साल पुत्री स्व. कुरड़ाराम पत्नी सुमेर जाति जाट निवासी नारनोंद तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
37/4 श्रीमती अनिता आयु 42 साल पुत्री स्व. कुरड़ाराम पत्नी कैलाश जाति जाट निवासी हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
38 सत्यवीर आयु 57 साल
39 महेन्द्र आयु 55 साल
40 शंकरलाल आयु 46 साल पुत्रगण कुरड़ाराम जाति जाट वार्ड नम्बर 26 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
41 मृतका श्रीमती पतासी पुत्री स्व. गोरूराम पत्नी चन्दगीराम जाति जाट निवासी मामराज का बास तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.। नोट–दौराने अपील दिनांक 28.05.2021 को देहान्त हो गया।
41/1 चन्दगीराम आयु 76 साल पुत्र स्व. माडुराम
41/2 अन्तरसिंह आयु 56 साल पुत्र चन्दगीराम
41/3 रामकुमार आयु 46 साल पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी मामराज का बास पोस्ट नुहन्द तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
41/4 श्रीमती सुनिता आयु 51 साल पत्नी जयकरण
41/5 श्रीमती चन्द्रपति आयु 49 साल पत्नी देवीलाल पुत्रीगण चन्दगीराम जाति जाट निवासी लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

42 श्रीमती सरती आयु 66 साल पत्नी स्व. हेमराज जाति जाट निवासी जनाऊ मिठी तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
43 श्रीमती वेदकोर आयु 64 साल पत्नी ईश्वरसिंह जाति जाट निवासी नौरंगपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
44 रामकुमार आयु 61 साल पुत्र स्व. देवकरण जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
45 इन्द्रसिंह आयु 58 साल पुत्र स्व. देवकरण जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
46 श्रीमती मणी आयु 56 साल पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी पिंचानवां तहसील सूरजगढ़ हाल वार्ड नम्बर 25 पिलानी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
47 सुतान आयु 54 साल पुत्र स्व देवकरण जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
48 हवासिंह आयु 67 साल पुत्र स्व. शिशपाल जाति जाट निवासी ढढांरिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
49 श्रीमती पारादेवी आयु 65 साल पत्नी मुकन्दाराम जाति जाट निवासी क्यामसर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
50 जयसिंह आयु 62 साल पुत्र स्व. शिशपाल पत्नी भींखाराम जाति जाट डांगर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
51 श्रीमती धनपति आयु 59 साल पुत्री स्व. शिशपाल पत्नी भींखाराम जाति जाट निवासी डांगर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
52 श्रीमती बिमला आयु 57 साल पुत्री स्व. शिशपाल पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी क्यामसर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
53 श्रीमती रामरती आयु 51 साल पत्नी स्व. राजकुमार जाति जाट निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
54 विकय आयु 27 साल पुत्र स्व. राजकुमार
55 विकास आयु 24 साल पुत्री स्व. राजकुमार जाति जाट निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
56 मृतक सुभाषचन्द्र पुत्र स्व. शिशपाल जाति जाट निवासी ढढांरिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। नोट– दौराने अपील दिनांक 15.11.2020 को देहान्त हो गया।
56/1 श्रीमती राजमति आयु 45 साल पत्नी स्व. सुभाषचन्द्र
56/2 ममता आयु 23 साल पुत्री स्व. सुभाषचन्द

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

56/3 नवीन आयु 21 साल पुत्र स्व. सुभाषचन्द्र
जाति जाट निवासी ढढांरिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
57 युको बैंक शाखा पिलानी जरिये शाखा प्रबन्धक युको बैंक शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
58 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
59 नगर पालिका चिड़ावा जरिये अधिशाषी अधिकारी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दावा उनवानी झाबरमल आदि बनाम हरलाल आदि दावा घोषणा, बंटवारा, बेदखली, स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 101/2017

उपस्थिति :
1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15/7/25

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 101/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस/वादीगण ने रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 59/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 59 को पक्षकार बनाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में दिनांक 21.07.2017 को जमीन खसरा नम्बर 365 रकबा 3.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.26 हैक्टेयर वाके कस्बा चिड़ावा के बाबत घोषणा, बंटवारा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 36 ने जवाब दावा पेश न कर दिनांक 13.10.2017 को आवेदन पत्र अ.आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 36 का प्रार्थना पत्र अ.आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 से स्वीकार कर अपीलान्टस/वादीगण का दावा खारिज कर दिया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के इस निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 को अपास्त करवाने के लिए अपीलान्टस/वादीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 36 की ओर से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका जवाब अपीलान्टस/वादीगण द्वारा पेश किया। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 36 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह दर्ज नहीं किया कि दावा आदेश 07 नियम 11 ए से एफ सीपीसी के किस प्रावधान से बाधित है। प्रार्थना पत्र अ.आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में निम्न कारण अंकित किये गये:– 1 वाद कारण का अभाव, 2 दावा विबन्ध के सिद्धान्त से बाधित, 3 दावा मिया बाहर होना, विबन्ध के सिद्धान्त के आधार पर प्रतिवादीगण के कथन के आधार पर बिना जवाब दावे के व बिना विवाद बिन्दु कायम किये व बिना साक्ष्य के निस्तारण नहीं हो सकता है। जहां तक मियाद का प्रश्न है यह तथ्य व कानून का मिश्रित बिन्दु है जो भी जवाब दावा व विवाद बिन्दु कायम होने के बाद साक्ष्य से ही तय हो सकता है। आदेश 07 नियम 11 ए से एफ में यह प्रावधान दिया हुआ नहीं है कि विबन्ध व मियाद का बिन्दु प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही व प्रतिवादी के दस्तावेज के आधार पर तय हो सकता हो। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बिना युक्ति युक्त कारण के दावे को मियाद

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बाहर मानकर खारिज करने में भुल की है। जहां तक वाद 'कारण का सवाल है, वाद कारण से तात्पर्य उन तथ्यों से है जिसके आधार पर मुख्य अनुतोष घोषणा का चाहा गया हो। अपीलान्टस वादीगण ने दावे से घोषणा का मुख्य अनुतोष चाहा जिसके लिये दावे की धारा 4 में सम्पूर्ण तथ्य दर्ज किये है। विचारण न्यायालय ने निर्णय में वाद कारण के बाबत अर्थ को न समझकर बिना वैद्य आधार के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 पारित की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 36 ने अपने प्रार्थना पत्र में दावा संख्या 332/2011 लंबित होना दर्ज किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 36 के कथनानुसार दावा संख्या 101/2017 पेश होने व दर्ज होने व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 36 की तलबी होने तक दावा संख्या 332/2011 लंबित था। इस कारण प्रकरण में आदेश 09 नियम 9 सीपीसी के प्रावधान लागु नहीं होते है। इस पर गौर न कर निर्णय व डिक्री पारित करने में भुल की गयी है। आदेश 09 नियम 9 सीपीसी में प्रावधान है कि दावा सुनवाई के लिये नियत हो और दावा खारिज हो गया हो तो उसी वाद कारण पर दुसरा दावा नहीं लाया जा सकता। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 36 के कथनानुसार दो दावे विचाराधीन थे व एक दावा खारिज होने के बाद उसी वाद कारण पर दुसरा दावा नहीं लाया गया। इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित करने में भुल की है। दावा संख्या 101/2017 में अपीलान्टस/वादीगण ने जमीन खसरा नम्बर 365, खसरा नम्बर 366, खसरा नम्बर 367 वाके कस्बा चिड़ावा ने 2/3 हिस्से की सहखातेदारी की घोषणा चाही व रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 24 के खिलाफ खसरा नम्बर 365 व खसरा नम्बर 367 में से 71 X 90 फुट जमीन से बेदखल कर कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 36 के प्रार्थना पत्र में जमीन खसरा नम्बर 365 रकबा 3.39 हैक्टेयर के बाबत घोषणा का अनुतोष न चाहना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। इस प्रकार वाद कारण पक्षकारान, अनुतोष में रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 36 के कथनानुसार भिन्नता होने से प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 36 पोषणीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के लिये खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहने के लिए तृतीय अनुसूचि के क्रम संख्या 5 पर कोई मियाद नहीं रखी गई। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 56 के खिलाफ वाद कारण बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये दावे की धारा 8 में दर्ज किया है। दावे की धारा 8 में दर्ज तथ्यों के अनुसार बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वाद कारण पैदा होने के रोज से अन्दर मियाद है। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पत्र दावे में दर्ज तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए व प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों व दस्तावेज के आधार पर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो सकता है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य जवाब दावा व विवाद बिन्दु व साक्ष्य के पश्चात ही तय हो सकते है। इस प्रकार विचारण न्यायलय ने दावे को मियाद बाहर मानकर निर्णय व डिक्री से खारिज करने में भुल की है। अपीलान्ट नम्बर 1 व अपीलान्ट 2 का पिता पोकरराम व इनका भाई गोरूराम विवादित जमीन के खातेदार काश्तकार मिसल हकियत संवत 1998 से रहे व इनकी खातेदारी खत्म नहीं हुई। बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के खातेदारी हकुक खत्म भी नहीं हो सकते है आदि तथ्यों को दर्ज कर दावा दायर किया गया जिसको विद्वान विचारण न्यायालय ने खारिज करने में भुल की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 228 के तहत निर्णय व डिक्री के रोज से अपील के लिये मियाद 60 दिन है। निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 के रोज से अपील 60 दिन के अन्दर पेश होने से अन्दर मियाद पेश है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2020 एससी पेज 2721, डीएनजे 2019 एससी पेज 1, डीएनजे 2015 एससी पेज 242, डीएनजे 2020(4) राज पेज 959, डीएनजे 2019 (1) राज पेज 3, आरएलडब्ल्यू 2018(1) रेव (एचसी) पेज 355, आरआरटी 2016–17 सप्ली पेज 614, आरआरटी 2017(1) एचसी पेज 591, आरआरटी 2017(1) एचसी पेज 713, आरएलडब्ल्यू 2020(2) एससी पेज 1417, आरबीजे 2020 पेज 545, आरबीजे 2020 पेज 8, आरआरटी 2019(2) पेज 1524 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 36 प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.10.2018 को दावा उनवानी कुरड़ाराम बनाम हरलाल वगै. मु.नं. 332/2011 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के संदर्भ में आदेशिका और दावा, जवाब दावा की सत्य प्रतिलिपि पेश की है। यह दावा वर्तमान दावा के वादीगण झाबरमल, गिनिया और कुरड़ाराम, श्रवण इत्यादी के दावा न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.09.2011 को प्रस्तुत किया। जिसमें

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादीगण ने खसरा नम्बर 366, 367 के संबंध में अनुतोष चाहा। यह दावा घोषणात्मक, दुरूस्ती रिकार्ड का है। यह दावा दिनांक 27.10.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। वर्तमान दावा वादीगण ने दिनांक 21.07.2017 को प्रस्तुत किया गया। उक्त दावा उनवानी कुरड़ाराम बनाम हरलाल वगै. मु.नं. 332/2011 के विचाराधीन रहते हुये वर्तमान दावा पेश किया गया। वर्तमान दावा के विचाराधीन रहते हुये वादीगण के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दावा कुरड़ाराम बनाम हरलाल मु.नं. 322/2011 को दिनांक 27.10.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज करवा लिया और उक्त दावें की जानकारी वर्तमान दावे में छुपाई गई। वादीगण को पूर्व दावा में अपने समस्त अनुतोषों को प्राप्त करने का कानूनन हक व अधिकार था किन्तु वादीगण ने अपने समस्त हक व अधिकारों को पूर्व दावे के निस्तारण से व्याधिक किया है। सिविल प्रकिया संहिता के मुताबिक यदि दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाता है तो उस दावा में न्यायालय के समक्ष अपनी अनूपस्थिति का स्पष्ट और संतुष्टि पूर्वक कारण देकर दावा को रिस्टोर नहीं करवाता है तो इससे वादी के नया दावा प्रस्तुत करने के अधिकार बाधित होते है। वादीगण ने स्पष्ट कथन किया है कि उनको सन 1987 में राजस्व रिकार्ड की जानकारी हो गई थी। इस कारण से यह स्पष्ट है कि वादी ने विवादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में मियाद बाहर दावा प्रस्तुत किया है। इस कारण इस बिन्दु को वर्तमान परिस्थितियों में साक्ष्य के आधार पर निर्णित नहीं किया जा सकता है। वादीगण का वर्तमान दावा मियाद बाहर होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है और वादीगण को वर्तमान दावा प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 के विधिक प्रावधानों के अनुसार विस्तृत विवेचन कर वादी अपीलान्ट का वाद विधि द्वारा वर्जित मानते हुए विचाराधीन निर्णय से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2010 पटना पेज 189, एआईआर 2016 राज. पेज 89, एआईआर 2014 केरला पेज 35, आरएलडब्ल्यू 2024(3) राज पेज 2298 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 36 प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.10.2018 को दावा उनवानी कुरड़ाराम बनाम हरलाल वगै. मु.नं. 332/2011 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के संदर्भ में आदेशिका और दावा, जवाब दावा की सत्य प्रतिलिपि पेश की है। यह दावा वर्तमान दावा के वादीगण झाबरमल, गिनिया और कुरड़ाराम, श्रवण इत्यादी के दावा न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.09.2011 को प्रस्तुत किया। जिसमें वादीगण ने खसरा नम्बर 366, 367 के संबंध में अनुतोष चाहा। यह दावा घोषणात्मक, दुरूस्ती रिकार्ड का है। यह दावा दिनांक 27.10.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। वर्तमान दावा वादीगण ने दिनांक 21.07.2017 को प्रस्तुत किया गया। उक्त दावा उनवानी कुरड़ाराम बनाम हरलाल वगै. मु.नं. 332/2011 के विचाराधीन रहते हुये वर्तमान दावा पेश किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 36 की ओर से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका जवाब अपीलान्टस/वादीगण द्वारा पेश किया। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 36 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह दर्ज नहीं किया कि दावा आदेश 07 नियम 11 ए से एफ सीपीसी के किस प्रावधान से बाधित है। प्रार्थना पत्र अ.आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में निम्न कारण अंकित किये गये:– 1 वाद कारण का अभाव, 2 दावा विबन्ध के सिद्धान्त से बाधित, 3 दावा मिया बाहर होना, विबन्ध के सिद्धान्त के आधार पर प्रतिवादीगण के कथन के आधार पर बिना जवाब दावे के व बिना विवाद बिन्दु कायम किये व बिना साक्ष्य के निस्तारण नहीं हो सकता है। जहां तक मियाद का प्रश्न है यह तथ्य व कानून का मिश्रित बिन्दु है जो भी जवाब दावा व विवाद बिन्दु कायम होने के बाद साक्ष्य से ही तय हो सकता है। आदेश 07 नियम 11 ए से एफ में यह प्रावधान दिया हुआ नहीं है कि विबन्ध व मियाद का बिन्दु प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही व प्रतिवादी के दस्तावेज के आधार पर तय हो सकता हो। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बिना युक्ति युक्त कारण के दावे को मियाद बाहर मानकर खारिज करने में भुल की है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक वाद कारण का सवाल है, वाद कारण से तात्पर्य उन तथ्यों से है जिसके आधार पर मुख्य अनुतोष घोषणा का चाहा गया हो। अपीलान्टस वादीगण ने दावे में घोषणा का मुख्य अनुतोष चाहा जिसके लिये दावे की धारा 4 में सम्पूर्ण तथ्य दर्ज किये है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 36 ने अपने प्रार्थना पत्र में दावा संख्या 332/2011 लंबित होना दर्ज किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 36 के कथनानुसार दावा संख्या 101/2017 पेश होने व दर्ज होने व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 36 की तलबी होने तक दावा संख्या 332/2011 लंबित था। इस कारण प्रकरण में आदेश 09 नियम 9 सीपीसी के प्रावधान लागु नहीं होते है। इस पर गौर न कर निर्णय व डिक्री पारित करने में भुल की गयी है। आदेश 09 नियम 9 सीपीसी में प्रावधान है कि दावा सुनवाई के लिये नियत हो और दावा खारिज हो गया हो तो उसी वाद कारण पर दुसरा दावा नहीं लाया जा सकता। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 36 के कथनानुसार दो दावे विचाराधीन थे व एक दावा खारिज होने के बाद उसी वाद कारण पर दुसरा दावा नहीं लाया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के लिये खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहने के लिए तृतीय अनुसूचि के क्रम संख्या 5 पर कोई मियाद नहीं रखी गई। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 56 के खिलाफ वाद कारण बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये दावे की धारा 8 में दर्ज किया है। दावे की धारा 8 में दर्ज तथ्यों के अनुसार बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वाद कारण पैदा होने के रोज से अन्दर मियाद है। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पत्र दावे में दर्ज तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए व प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों व दस्तावेज के आधार पर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो सकता है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य जवाब दावा व विवाद बिन्दु व साक्ष्य के पश्चात ही तय हो सकते है। इस प्रकार विचारण न्यायलय ने दावे को मियाद बाहर मानकर निर्णय व डिक्री से खारिज करने में विधिक त्रुटि की है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ वापिस प्रेषित किया जाता है कि वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर